UPLL010025452026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 382/2026

कौशल उम्र करीब 26 वर्ष, पुत्र श्री मुलायम सिंह लोधी, निवासी ग्राम विरधा, थाना पूराकलां, जिला ललितपुर।

–––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

–––––विपक्षी।

मु०अ०सं० 67/2026,
धारा 64(1), 331(4), 75(1), 351(3) बी.एन.एस.,
थाना पूराकलां, जिला ललितपुर।

दिनाँकः 01.07.2026

आवेदक/अभियुक्त कौशल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 67/2026, धारा 331(4), 75(1), 351(3) व 61(1) बी.एन.एस., थाना पूराकलां, जिला ललितपुर के प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 750/2026 प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जेल में निरुद्ध है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में कहा गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त उसका कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है और ना ही निरस्त हुआ है। उक्त तथ्यों का कोई खण्डन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

4. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री अखलेश द्वारा मुकामी थाने पूराकलां में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनाँक 08.12.2025 को वह महाराष्ट्र मजदूरी करने गया था, तब से अपने काम पर ही था। दिनाँक 26.04.2026 को शाम करीब 6 बजे उसकी पत्नी/पीड़िता ने फोन लगाया और बताया कि "गांव का कौशल 15 दिन पहले रात में करीब 11 बजे घर में घुस आया था। सास–ससुर दूसरे कमरे में सो रहे थे। वह दूसरे कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी। उसके साथ छेड़खानी की व बुरी नीयत से उसके ऊपर लेट गया। उसका ब्लाउज खोलने लगा। वह चिल्लाई तो आवाज सुनकर मम्मी–पापा जग गये। उनके चिल्लाने पर कौशल जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था।" इस सूचना पर वह महाराष्ट्र से लौटकर अपने घर आया और अपनी पत्नी/पीड़िता से घटना का पूरा हाल जाना तथा रिपोर्ट लिखाने आया है।

5. वादी मुकदमा अखलेश की उक्त तहरीर के आधार पर मुकामी थाने पूराकलां में आवेदक/अभियुक्त कौशल के विरुद्ध अपराध संख्या 67/2026 पर धारा 331(4), 75(1) व 351(3) बी.एन.एस. में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना बलात्कार का तथ्य प्रकाश

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.07.01 16:45:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में आने पर प्रकरण में धारा 64(1) बी.एन.एस.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी तथा प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया है कि आवेदक बेगुनाह एवं बेकसूर है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसे रंजिशन झूठा फंसा दिया गया है। घटना की प्राथमिकी विलंब से दर्ज कराई गयी है। उसने वादी के घर में घुसकर वादी की पत्नी के साथ छेड़खानी करते हुए बलात्कार नहीं किया है और ना ही जान से मारने की धमकी दी है। प्राथमिकी में बलात्कार की कोई बात नहीं बतायी गयी है, जबकि धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में उसे गंभीर बलात्कार के मामले में फंसाने के उद्देश्य से झूठे कथन किये गये हैं। पीड़िता के बयानों एवं प्राथमिकी में विरोधाभास है। डाक्टरी परीक्षण आख्या में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वास्तविकता यह है कि उसका व वादी मुकदमा का मकान आमने–सामने है और कचरा डालने को लेकर अक्सर वाद–विवाद पीड़िता से होता रहता था, जिस कारण वादी मुकदमा ने उसे झूठा फंसा दिया है। उसके भागने अथवा फरार होने की कोई संभावना नहीं है।

7. अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के पति की गैरमौजूदगी में रात्रि में पीड़िता के घर में घुसकर पीड़िता के साथ छेड़खानी करते हुए जबरदस्ती बलात्कार किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी है। पीड़िता का पति महाराष्ट्र में मजदूरी हेतु गया हुआ था। उसके द्वारा वापस आकर पीड़िता से घटना की जानकारी लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, जिस कारण प्राथमिकी दर्ज कराने में हुआ विलंब स्वाभाविक है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की मांग की गयी है।

8. केस डायरी के परिशीलन से ज्ञात होता है कि घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पति/वादी मुकदमा अखलेश द्वारा आवेदक/अभियुक्त कौशल के विरुद्ध नामजद दर्ज कराई गई है। आवेदक/अभियुक्त पर रात्रि में वादी के मकान में घुसकर, वादी की पत्नी/पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने, उसकी सम्मति के बिना बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

9. **वादिनी/पीड़िता ने अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में प्राथमिकी के कथनों का समर्थन करते हुए बताया है कि** उसके पति महाराष्ट्र में मजदूरी करने गये थे। घर में, वह, उसके सास–ससुर थे। **दिनाँक 12.04.2026 की रात करीब 11 बजे वह बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। उसके सास–ससुर दूसरे कमरे में सो रहे थे। गर्मी की वजह से घर के दरवाजे खुले थे। उसी समय कौशल घर में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा और ब्लाउज के बटन खोल दिये। जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। वह चिल्लाई तो उसके मुँह में कपड़ा ठूस दिया। उसकी आवाज सुनकर उसके सास–ससुर जाग गये। उनके चिल्लाने पर कौशल धमकी देते हुए कि उसे व उसके बच्चों को जान से मार डालेगा, भाग गया।** उसने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। दिनाँक 26.04.2026 को शाम 6 बजे पति को बताया। उसके बाद दिनाँक 29.04.2026 को उसके पति घर आये और उसने थाने में जाकर मुकदमा लिखाया।

10. **वादिनी/पीड़िता ने अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि** *उसके पति महाराष्ट्र में मजदूरी करने गये थे। वह अपने सास–ससुर और दो बच्चों के साथ रहती है। दिनांक 12.04.2026 को रात 11 बजे वह अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी, तभी* ***कौशल उसके कमरे में घुस आया और उसे गलत तरीके से छूने लगा। उसने शोर मचाने की कोशिश की तो उसके मुँह में साड़ी का पल्लू ठूंस दिया। उसका ब्लाउज खोला और उसके ऊपर लेट गया। उसके साथ रेप किया। जब कौशल रेप करके जाने लगा तो उससे कहा कि अगर किसी को बताया***

तो उसे व उसके बच्चों को जान से मार देगा। *घटना के वक्त उसके सास–ससुर दूसरे कमरे में सो रहे थे। पूरी घटना के दौरान उसके बच्चे भी सो रहे थे। कौशल के दोस्त मालवेन्द्र ने उसकी अश्लील वीडियो उसके पति को भी भेज दी थी। वह डर गयी थी, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर दिनाँक 26.04.2026 को पति और सास–ससुर को पूरी बात बतायी थी। उसके पति ने थाने में मुकदमा लिखाया था।*

11. **वादी मुकदमा अखलेश (पीड़िता का पति) ने अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में प्राथमिकी के कथनों का समर्थन करते हुए विवेचक को बताया है** कि वह महाराष्ट्र में मजदूरी करता है। तीज–त्यौहार पर घर आ पाता है। उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों, माता–पिता के साथ घर पर रहती है। वह दिनाँक 08.12.2025 को महाराष्ट्र काम करने गया था। दिनाँक 26.04.2026 को शाम 6 बजे उसकी पत्नी ने फोन लगाकर बताया था कि कौशल 15 दिन पहले दिनाँक 12.04.2026 की रात् 11 बजे घर में घुस आया और उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी करने लगा। उसकी पत्नी जाग गयी और चिल्लाई तो दूसरे कमरे में लेटे उसके मम्मी पापा आवाज सुनकर जाग गये और चिल्लाने पर कौशल उसकी पत्नी व दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। **जिस पर वह दिनाँक 29.04.2026 को महाराष्ट्र से अपने घर आ गया था और समाज में बदनामी के डर से थाने नहीं आया, लेकिन बाद में अपनी पत्नी को लेकर दिनाँक 03.05.2026 को थाने आया तथा रिपोर्ट लिखवायी।**

12. **पीड़िता के ससुर गोविन्दर सिंह व सास खिलन देवी ने विवेचक को बताया है कि** दिनाँक 12.04.2026 की रात में वे अलग कमरे में सो रहे थे और बहू अपने दोनों बेटों के साथ अलग कमरे में सो रही थी। **रात में बहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों की नींद खुल गयी थी। जब वे लोग बाहर निकले तो देखा कि गांव का कौशल बहू के कमरे से गाली गलौज और बहू को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग रहा था।** बाद में बहू ने उसके साथ हुई सारी घटना बतायी थी।

13. चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में पीड़िता के साथ **भावनात्मक दुर्व्यवहार या हिंसा** (Emotional Abuse/Violence) किये जाने एवं पीड़िता को **मौखिक रूप से धमकी (Verbal threats)** दिये जाने का उल्लेख है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु सैम्पल एकत्रित किये जाने और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के उपरान्त ही अंतिम निष्कर्ष दिये जाने का उल्लेख है।

14. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में, जमानत के आधार के रूप में, घटना की प्राथमिकी विलंब से पंजीकृत कराने, घटना का कोई चश्मदीद एवं स्वतंत्र साक्षी न होने एवं कचरा डालने के विवाद के कारण झूठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है। पीड़िता तथा उसके पति/वादी मुकदमा ने विवेचक को दिये गये बयान में घटना की प्राथमिकी के विलंब से दर्ज कराये जाने का स्वाभाविक, पर्याप्त एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया है। जहाँ तक घटना के स्वतंत्र साक्षी न होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि बलात्कार जैसे अपराध एकान्त में किये जाने वाले अपराध हैं, जिनका प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना कठिन होता है और मामले की परिस्थितियों से ही घटना का अनुमान लगाया जाता है। जहाँ तक कचरा विवाद के कारण झूठा फंसाये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे पीड़िता व आवेदक के मध्य कचरा डालने की रंजिश होने का तथ्य प्रमाणित होता हो।

15. इस प्रकार केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा रात्रि में घर में घुसकर, पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते हुए पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया एवं पीड़िता व उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गयी।

16. अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, मामले के समस्त तथ्यों एवं

परिस्थितियों, कारित अपराध की प्रकृति तथा दण्ड के तथ्य दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, जमानत का आधार पर्याप्त नहीं हैं तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त कौशल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 67/2026, धारा 331(4), 75(1), 351(3), 64(1) बी.एन.एस., थाना पूराकलां, जिला ललितपुर के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 750/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः01.07.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।